[भारत के राजपत्र भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

11वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 02.12.2021

संकल्प

संख्या ई-11011/1/2019-हिन्दी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के दिनांक 15.09.2015 के संकल्प **संख्या ई-11011/7/2014-हिन्दी** के अधिक्रमण और राजभाषा विभाग के संगत अनुदेशों के अनुपालन में भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में निम्नलिखित अनुसार हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया है:-

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री - **अध्यक्ष**

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री - **उपाध्यक्ष**

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

संसद सदस्य (लोक सभा)

(1) श्री जुगल किशोर शर्मा, - सदस्य

स्थानीय पता : 19, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन (केनिंग लेन), नई दिल्ली - 110001

स्थायी पता : ग्राम एवं डाकघर - किशनपुरा तहसील एवं जिला - जम्मू, जम्मू-कश्मीर

(2) श्री होरेन सिंह बे - सदस्य

स्थानीय पता : 182, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110011

स्थायी पता : गांव, दोलानी तेरोनगांव, डाकघर बोरथोल थाना-बैथालांग्सो, असम-782485

संसद सदस्य (राज्य सभा)

(3) श्री हरनाथ सिंह यादव - सदस्य

स्थानीय पता : फ्लैट नं. 151-153, नॉर्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली - 110001

स्थायी पता : 401/1, शांतिनगर, एटा

(4) श्री मुजीबुल्ला खान - सदस्य

स्थायी पता : डाकघर - तारागांव, पुलिस स्टेशन/
जिला-नबरंगपुर,
ओडिशा - 764059

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

(5) श्री राम स्वरूप शर्मा, - सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)

स्थानीय पता : 92, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

स्थायी पता : गांव एवं डाकघर जलपहीर,
तहसील जोगिंदर नगर,
जिला मंडी-176120, हिमाचल प्रदेश

(6) डॉ. सुभाष चंद्र, - सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)

स्थानीय पता : बंगला नं. 4, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001

स्थायी पता : मकान नं. 166, कृष्णा मंडी,
हिसार, हरियाणा-125001,

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि

(7) श्री श्याम सुंदर कथूरिया, - सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

पता : 101, बी-16, तिहाड़, तिलक नगर,
नई दिल्ली-110018

(8) श्री अशोक प्यारेलाल शुक्ला, - सदस्य
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रतिनिधि

पता : त्रिमूर्ति नगर, पंजाब कॉलोनी के पीछे,
पराते की चक्की के पास, आर्वी रोड,
वर्धा, महाराष्ट्र - 442001

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री/मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

(9) श्री नितिन पी मवानी, - सदस्य
फिल्म निर्माता एवं व्यापार सलाहकार
पता : 89/1, आराम नगर, दलजीत जिम लेन,
7 बंगला, अंधेरी (पश्चिम),
मुम्बई - 400061

(10) श्री रामजी केसरवानी, राजनीतिज्ञ - सदस्य
पता : 122, रानी मंडी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

(11) श्री इरविन चुघ, सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य
पता : बी-72, साहेब कुंज, न्यू पालम विहार,
फेज-3, गुरूग्राम-122017

(12) डॉ. चन्द्र प्रकाश, पीएच.डी (हिन्दी) - सदस्य
पता : मो. नसीराबाद (प्रकाश माण्टेसरी स्कूल),
मिलक, रामपुर, उत्तर प्रदेश

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

(13) डॉ. फिल्मेका मार्बनियांग - सदस्य
पता : मावलाई किंटन मस्सार, ब्लॉक-सी,
एसबीआई एटीएम के पास, शिलोंग,
मेघालय-793022

(14) श्री वी. एल आविया - सदस्य
पता : मकान संख्या-टी-बी/37, बावंगकान 'ई'
पी.ओ. बावंगकॉन, आइजोल,
मिजोरम-796014

(15) श्री वालेननिबा जमीर - सदस्य
पता : मकान नं. 1305, हिंदी संस्थान कैंपस,
हिंदी नगर, पदुम पुखुड़ी, दीमापुर,
नागालैंड-797116

सरकारी सदस्य

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

(16) सचिव - सदस्य
(17) संयुक्त सचिव - सदस्य

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(18) सचिव (अ.का.)	- सदस्य
(19) संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार	- सदस्य
(20) संयुक्त सचिव (प्रशासन)	- सदस्य
(21) संयुक्त सचिव (कौशल)	- सदस्य
(22) संयुक्त सचिव (वक्फ)	- सदस्य
(23) संयुक्त सचिव (समन्वय)	- सदस्य
(24) सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	- सदस्य
(25) सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद	- सदस्य
(26) सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	- सदस्य
(27) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	- सदस्य
(28) आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यक (मुख्यालय)	- सदस्य
(29) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड	- सदस्य
(30) उप महानिदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	-सदस्य-सचिव

कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियमों में राजभाषा के संबंध में किए गए उपबंधों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :-

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

(घ) समिति के कार्यकाल की अवधि के बीच यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु यदि आवश्यक समझा गया तो यह अपनी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा.भा. (क-2) दिनांक 22 जनवरी, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(ऋचा शंकर)
उप महानिदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)।

प्रति प्रेषित :-

1. समिति के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. संसदीय कार्य मंत्रालय, 86-बी, संसद भवन, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 2-49(1)/2010-समिति, दिनांक 04 नवंबर, 2019 के संदर्भ में।
9. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110011 को उनके पत्र सं. 1501 : 1/14-समिति-2017 दिनांक 19/12/2019 के संदर्भ में।
10. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), 'बी' विंग, चतुर्थ तल, नई दिल्ली सिटी सैंटर-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/47/2014/रा.भा./हि.स.स. दिनांक 03.08.2021 के संदर्भ में।
11. ससद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
12. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
13. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
14. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
15. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।
16. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
17. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, के.स.हि.प. 116, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्र सं. 4/1/2018-परिषद/हि.स.स./16 दिनांक 7/3/2019 के संदर्भ में।
18. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, डाक वर्धा, हिंदी नगर, वर्धा - 442003 को उनके पत्र सं. प्रचार दिनांक 13.03.2019
19. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली-110001 को इस अनुरोध के साथ कि भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कृपया एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए।
20. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/एकक।
21. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के निजी सचिव।
22. अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के निजी सचिव।
23. सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) के प्रधान स्टफ अधिकारी/संयुक्त सचिव (एनएस) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एनएफएच) संयुक्त सचिव (सीपीएस) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार।
24. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस संकल्प को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाए।

(ऋचा शंकर)
उप महानिदेशक

(To be published in the Gazette of India, Part-I, Section-I)
Government of India
Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
Lodhi Road, CGO Complex,
New Delhi-110003
Date : 2020

Resolution

No. E-11011/1/2019-Hindi. In supersession of this Ministry's resolution No. E-11011/7/2014-Hindi, dated 15.09.2015 and in compliance of relevant instructions of Department of Official Language, Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahkar Samiti for Ministry of Minority Affairs as under:-

Minister of Minority Affairs - Chairman

Minister of State in the Ministry of Minority Affairs -Deputy Chairman

Non Official Members

Members nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

Member of Parliament (Lok Sabha)

1 Shri Jugal Kishore Sharma - Member

Local Add.: 19, Pt. Ravi Shankar Shukla Lane (Canning Lane), New Delhi-110001

Permanent Add.: V & P.O. Kishanpura,

Tehsil & Distt. Jammu, J&K

2. Shri Horen Sing Bey - Member

Local Add.: 182, South Avenue
New Delhi-110011

Permanent Add.: Vill. Doloni Teron Gaon,
P.O. Borthol, P.S. Baithalangso,
Assam-782485

Member of Parliament (Rajya Sabha)

3. Shri Harnath Singh Yadav - Member

Local Add.: 151-153, North Avenue,
New Delhi 110001

Permanent Add.: 401/1, Shanti Nagar, Etah

4. Shri Muzibulla Khan - Member

Parmanent Add.: At/P.O. – Taragaon,
P.S./Dist. - Nabarangpur
Odisha-764059

Member of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language

5. Shri Ram Sawroop Sharma - Member
Member of Parliament (Lok Sabha)

Local Add.: 92, North Avenue,
New Delhi-110001

Parmanent Add.: Vill. & P.O. Jalpaheer,
Tehsil Joginder Nagar,
Distt. Mandi-176120,
Himachal Pradesh

6. Dr. Subhash Chandra - Member
Member of Parliament (Rajya Sabha)

Local Add.: Bungalow No. 4, Bhagwan Das Road,
New Delhi-110001

Parmanent Add.: House No. 166, Krishna Mandi, Hisar,
Haryana. 125001

Representatives of Voluntary Organization

7. Shri Shyam Sundar Kathuriya, - Member
Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

Add.: 101, B-16, Tihar, Tilak Nagar,
New Delhi-110018

8. Shri Ashok Pyre Lal Shukla, - Member
Representative of Rashtrabhasha Prachar Samiti Wardha

Add.: Trimurti Nagar, Behind Punjab Colony,
Near Parate Flour Mill, Arvi Road,
Wardha, Maharashtra-442001

Non-Official Members nominated by Minister (MA)/ Ministry of Minority Affairs

9. Shri Nitin P Mawani, Film Maker & Trade Advisor, - Member

Add.: 89/1, Aaram Nagar,
Daljeet Jim Lane,
7 Bungalow, Andheri (West)
Mumbai-400061

10. Shri Ramji Kesarwani, Politician - Member

Add.: 122, Rani Mandi,
Prayagraj, U.P.

11. Shri Irwin Chugh, Social Worker, - Member

Add.: B-72, Saheb Kunj,
New Palam Vihar,
Phase-3, Gurugram 122017

12. Dr. Chandra Prakash, Ph.D (Hindi) - Member

Add.: Mo. Nasirabad
(Prakash Montessary School),
Milak, Rampur, U.P.

Non-Official Members nominated by Deptt. of O.L., Ministry of Home Affairs

13. Dr. Filmeca Marbaniang - Member

Add.: Mawlai Kynton Massar,
Block-C, Near SBI ATM,
Shillong-793022, Meghalaya

14. Shri V. L. Awia - Member

Add.: House No-T-B/37,
Bawangkan 'E'
P.O. Bawangkon, Aizawl,
Mizoram-796014

15. Mr. Walenniba Jamir - Member

Add.: House No. 1305, Hindi Institute Campus,
Hindi Nagar, Padum Pukhuri,
Dimapur, Nagaland-797116

Department of Official Languages (Ministry of Home Affairs)

16. Secretary - Member
17. Joint Secretary - Member

Ministry of Minority Affairs

18.	Secretary (M.A.)	- Member
19.	Joint Secretary and Financial Adviser	- Member
20.	Joint Secretary (Administration)	- Member
21.	Joint Secretary (Skills)	- Member
22.	Joint Secretary (Waqf)	- Member
23.	Joint Secretary (Co-Ordination)	- Member
24.	Secretary, National Commission for Minorities	- Member
25.	Secretary, Central Waqf Council	- Member
26.	Secretary, Maulana Azad Education Foundation	- Member
27.	Chairman-cum-Managing Director, National Minorities Development and Finance Corporation	- Member
28.	Commissioner, Linguistic Minorities (HQ)	- Member
29.	Managing Director, National Waqf Development Corporation Limited	- Member
30.	Deputy Director General, Ministry of Minority Affairs	- Member-Secretary

FUNCTIONS OF THE SAMITI

2. The functions of the Samiti are to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Minority Affairs.

TENURE

3. The tenure of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution provided that:

A. A member, who is Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.

B. Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of Samiti.

C. If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member nominated on the vacancy shall hold office for the remaining period of the Samiti.

D. If a person is nominated as a member of the Samiti in the middle of its tenure, he/she shall be member of the Samiti for the remaining period.

4. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

TRAVELLING ALLOWANCES AND OTHER ALLOWANCES

5. Travelling allowances and Daily Allowances would be paid to the non-official members of the Samiti for participating the meetings as per the instructions contained in the Deptt. of Official Languages in O.M. No. 11/20034/4/86-0L (A-2) dated 22.1.1987 and as per the rates prescribed by Govt. of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenue, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(Richa Shanker)
Deputy Director General

To,

The Manager,
Government of India Press
Faridabad (Haryana)

Copy forwarded to:

1. All members of Hindi Salahkar Samiti
2. All State Govts/Union Territory Administrations
3. President's Secretariat/Vice-President's Secretariat
4. Prime Minister's office, New Delhi
5. Cabinet Secretariat
6. Lok Sabha Secretariat
7. Rajya Sabha Secretariat
8. Ministry of Parliamentary Affairs, 86-B, Parliament House, New Delhi, w.r.t. O.M. No. 2-49(1)/2010-Samiti, dated 04 November, 2019.
9. Committee of Parliament on Official Languages, 11, Teen Murti Marg, New Delhi-110011-with reference to their letter No. 1501 : 1/14-Samiti-2017 dated 19/12/2019.
10. Department of Official Languages (Ministry of Home Affairs), B-Wing, 4th Floor, New Delhi City Center-II Bldg, Jai Singh Road, New Delhi-110001, w.r.t. their O.M. No. 11/20015/47/2014/रा.भा./हि.स.स. dated 03.08.2021
11. Parliament Library, New Delhi.
12. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
13. Accountant General, Central Revenue, New Delhi.
14. All Ministries/Department of Govt. of India.
15. Pay & Accounts Officer, Ministry of Minority Affairs.
16. AIl attached and subordinate offices under Ministry of Minority Affairs.
17. Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, 116-Laxmi Bai Nagar, New Delhi-110023 with reference to their letter No. 4/1/2018-parishad/HSS/16, dated 7.3.2019.
18. Rastrabhasha Prachar Samiti, Post Wardha, Hindi Nagar, Wardha-442003 w.r.t. their letter no. Prachar, dated 13.3.2019.
19. Information Officer, Press Information Bureau, New Delhi. It is requested that a press note embodying the above decision of the Govt. may please be issued.
20. All officers/Sections/Divisions/Units of the Ministry of Minority Affairs.
21. PS to the Minister of Minority Affairs.
22. PS to the State Minister of Minority Affairs.
23. PSO to the Secretary (MA)/PS to JS (NS), PS to JS(NFH), JS (CPS) & JS&FA.
24. NIC, New Delhi- It is requested that this resolution be uploaded on this Ministry's website.

(Richa Shanker)
Deputy Director General